न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 41 / 2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019 / 00219

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. शंकरलाल पुत्र लखाराम जी जाति पटेल निवासी चेण्डा, तहसील रोहट जिला पाली हाल निवासी गोवा		1. वागाराम पुत्र प्रभुराम जाति पिटल निवासी चेण्डा, तहसील रोहट जिला पाली 2. करनाराम पुत्र देवाराम जाति पिटल निवासी चेण्डा तहसील रोहट जिला पाली 3. ग्राम पंचायत चेण्डा तहसील रोहट जिला पाली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा
अप्रार्थीगण की ओर से श्री कैलाश मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 13-1-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चेण्डा पंचायत समिति रोहट की मिसल संख्या 58 / 1966–67 संकल्प संख्या 7 दिनांक 14.06.1971 की पालना में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 58 दिनाँक 14.06.1969 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत चेण्डा से रेकर्ड तलब कर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जारी किया गया जो एक फर्जी तथा प्रारम्भ से शुन्य दस्तावेज होने से काबिल खारिज है अपने तर्को की ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि पट्टे के अग्र भाग पर सरपंच के हस्ताक्षर एवं मोहर नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि पट्टा निरस्त योग्य एवं शुन्य दस्तावेज है। पट्टे में संकल्प संख्या 7 दिनांक 14.06.1971 की पालना में जारी होना अंकित है लेकिन 14.06.1971 को ही पट्टा जारी किया जाता है पट्टा जिनके हक में जारी किया उनकी सकूनत (पत्ता) दर्ज नहीं किया गया है। पट्टे के पृष्ठ भाग में भी सरपंच, नक्शा नवीश व सचिव के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है न ही पट्टा गृहिता के ही हस्ताक्षर हे। जैर निगरानी पट्टा कब्जा सुदा मकान का दिया गया जो 9077 वर्ग फीट का दिया गया जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा इतनी भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं है ग्राम पंचायत द्वारा स्वयंमेव बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन के पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी 3 के समक्ष कभी भी पट्टा जारी [illegible] नहीं किया न नक्शा शुल्क जमा कराया गया इस कारण भी प[illegible] नि[illegible] योग्य है पंचायत मिसल में पट्टे हेतु आवेदन देवाराम [illegible] जबकि देवाराम के फौत होने के पश्चात पट्[illegible]पटेल व करनाराम पु[illegible]राम के नाम दर्ज करते हुए बनाया गया है [illegible] विधिसम्मत नहीं है [illegible] में दर्ज आदेशिका दिनाँक 28.09.71 के अनुसार देवाराम फौत हो गया है एवं नोटिस की फर्द उसके पुत्र को दी गई।

क्रमश.....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:45 IST
Reason: SelfAttested

जैर निगरानी पट्टा नियमन देवाराम के फौत होने के पश्चात उसके वारिसान के पक्ष में जारी होना चाहिए था जो उसके भाई वागाराम के नाम जोड़ते हुए वागाराम पुत्र प्रभुराम व करनाराम पुत्र देवाराम के नाम जारी कर दिया इसलिए भी निरस्त किए जाने योग्य है मिसल में नक्शा वगैरा बनाया उसके नक्शा नवीस के हस्ताक्षरों का अभाव है। आबादी भूमी की प्रस्तावित बिक्री बाबत एतराज आमंत्रित करने का नोटिस कहा चस्पा किया गया एवं स्पष्ट नहीं है। दो स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिए गए है। ग्राम पंचायत द्वारा जरिए प्रस्ताव संख्या 7 दिनाँक 14.06.1971 के एवं करनाराम पुत्र देवाराम व वागाराम पुत्र प्रभुराम पिटल के हक में 9077 वर्गफीट भूमि के रूपये 20.25 रूपये मात्र लिये जाकर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि भूमि का मुल्याकंन भी सही नही किया गया है। प्रस्ताव रजिस्टर में सरपंच की मोहर पर एवं मिसल में सरपंच के हस्ताक्षर है तथा पट्टे पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर पट्टा प्रारम्भ से शुन्य दस्तावेज होने से निरस्त योग्य है तथा प्रारम्भ से शुन्य दस्तावेज के विरूद्ध निगरानी पेश करने में म्याद का प्रश्न बाधक नहीं होने से निगरानी अन्दर म्याद शुमर फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम कर पंचायत कोरम में प्रस्ताव पारित कर जरिए प्रस्ताव संख्या 7 दिनाँक 14.06.1971 को जारी किया गया तथा उसके विरूद्ध निगरानी 2019 में पेश की गई जो लगभग 46–47 वर्षो से भी अधिक समय बाद की गई है इसलिए प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। जैर निगरानी भूमि बाबत किसी प्राकर की FIR दर्ज नहीं हुई है। जैर निगरानी भूमि में प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है पट्टा जारी करते समय सम्पूर्ण प्रक्रिया का निर्वहन किया गया है निगरानी व्यक्तिगत द्वेष के कारण पेश की गई है जिसे निरस्त फरमावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टा किसके द्वारा जारी किया गया हस्ताक्षर एवं मोहर का अभाव होने से प्रथम दृष्टया जैर निगरानी पट्टा वैध नही माना जा सकता है पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र देवाराम पुत्र प्रभुराम द्वारा पेश किया गया था एवं पुश्तैनी सम्पति को नियमानुसार देवाराम के फौत होने के पश्चात उसके सभी वारिसान के नाम पट्टा जारी करना चाहिए था ऐसा नही कर ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटि की गई है [illegible]रानी पट्टा मात्र 20.25 रूपये मात्र में 9077 वर्ग मीट[illegible] है कि भूमि का मुल्याकंन सही नही किया गया है तथा [illegible]राम के पुत्र करनाराम के साथ वागाराम के नाम भी जारी कर दिया जो [illegible]सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। मिसल में दो स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए है न ही पट्टा गृहिता के बयान कलमबद्ध किए गए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:44:45 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................3

मिसल व प्रस्ताव रजिस्टर में दिनांक 14.06.1971 को बतौर सरपंच हुकम सिंह के हस्ताक्षर है। लेकिन जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच, सचिव, पट्टागृहिता आदि किसी के भी हस्ताक्षर न ही होने से भी पट्टा विधि सम्मत नहीं है। पट्टा जारी करने बाबत नियम 259 के अनुसार अस्थाई निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा नही लिया गया है। इसलिए भी पट्टा निरस्त योग्य है।

आपत्ति आंमत्रित करने का नोटिस कहां चस्पा किया गया इसका अंकन नहीं है इस प्रकार नोटिस नियम 260 के उपनियम 2 में निर्धारित रीति से नहीं किया गया है। पंचायत द्वारा भूमि विक्रय संबधी संकल्प पारित करने के एक माह की अवधि के बाद पट्टा जारी किया जाने का आज्ञापक प्रावधान है। जिसकी पालना नही की गई है न ही दो स्वतंत्र गवाहों के बयान ही लिए गए है। भूमि अधिक होने तथा उस पर कब्जा होने पर निजी बातचीत के द्वारा आबादी भूमि हस्तान्तरित किये जाने का पंचायती राज सामान्य नियम 266 में प्रावधान है लेकिन ऐसा नही किया गया है। इस प्रकार पंचायत द्वारा प्रेषित रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय प्रचलित राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 256 से 266 तक के नियमों के अनुसार प्रक्रिया नही अपनाई गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 की धारा 97 के तहत वैध नही पाया जाता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही करने से जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा संख्या 58 जो मिसल संख्या 58/1966–67 तथा संकल्प संख्या 7 दिनाँक 14.06.1971 की पालना में ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता हे। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनाँक 13-1-21 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:45 IST
Reason: SelfAttested